संख्या 487 /18(1)/2006

प्रेषक,

एन०एस०नपलच्याल,
प्रमुख सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अवर सचिव,
भारत सरकार,
गृह मंत्रालय,
कार्यालय-- एक्स सर्विसमैन वेलफेयर,
नई दिल्ली।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 17 नवम्बर, 2006

विषय:-- ई०सी०एच०एस० के अन्तर्गत पोलीक्लीनिक के निर्माण हेतु जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील पौड़ी के ग्राम पौड़ी, पट्टी नादलस्यूं में कुल 0.075 है0 भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के पत्र संख्या-2290/11-44 (2005-06) दिनांक 24-7-2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ई०सी०एच०एस० के अन्तर्गत पोलीक्लीनिक के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या- 558/16 (1)/73-रा-1 दिनांक 09 मई, 1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1895/97-1 -1(60)/93-रा-1 दिनांक 12-9-97 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि की कीमत वर्तमान बाजार दर से वसूल किये जाने एवं भूमि की कीमत के अतिरिक्त मालगुजारी के 100 गुने के बराबर की धनराशि नियत करके तहसील पौड़ी के ग्राम पौड़ी, पट्टी नादलस्यूं में कुल 0.075 है0 भूमि को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्यालय- एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, नई दिल्ली को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकार सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या- 150/1/85(24)-रा0-6 दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

....(2)

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, अथवा निगम का विघटन हो गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु सं0 1 से 5 तक की किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि में निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी। जिसके लिए कोई प्रतिकार देय नहीं होगा।

2– उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2– सचिव, सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास, उत्तरांचल शासन।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5– कर्नल एस0एस0रावत, स्टाफ आफिसर (ई0सी0एच0एस0), स्टेशन मुख्यालय, लैन्सडौन, उत्तरांचल।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनुसचिव।